

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, Dated: 29.06.2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamps Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from stamp duty payable on the Lease deed or Rent deed executed in favour of the unit established in Special Economic Zone.

[N6. F.12(43)FD/Tax/05-pt.-27]
By Order of the Governor,

(Bhawani Singh Detha)
Dy. Secretary to Government


राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ-7(40)जन/10/668

दिनांक : 29/07/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त उप पंजीयक, राजस्थान।
7. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


08/7/10
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, Dated:29.06.2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamps Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and in supersession of this Department's notification No.F.12 (43) FD/Tax/05-40 dated 24.8.2007, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from stamp duty payable, with immediate effect, on the following instruments,namely:-

- (i) Allotment or sale deed executed by the State Government or any local body or RIICO or sale deed executed by individual farmers/land owners in favour of developer (as defined in the Rajasthan Special Economic Zones Development Act, 2003) for the purpose of establishment of a Special Economic Zone in the State.
- (ii) Sale deed /Lease deed executed by the developer in favour of one or more co-developers or units in the area of Special Economic Zone.
- (iii) Sale deed/Lease deed executed by the co-developer in favour of one or more units.

These exemption shall be available on the following conditions, namely:-

1. that in case there is any change in the land use of area purchased for Special Economic Zone or if there is violation of any condition of lease, the allottee/purchaser shall be liable to pay the stamp duty as applicable at that point of time with interest thereon, as may be decided by the Government, from the date of change of land use or violation of any of the conditions; and
2. that the duty already paid, if any, shall not be refunded.

[No. F.12 (43) FD/Tax/05-pt.-26]
By Order of the Governor,

(Bhawan Singh Detha)
Dy. Secretary to Government

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक :एफ-7(40)जन/10/ 6231

दिनांक : 29/07/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त उप पंजीयक, राजस्थान।
7. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


08/07/10
अतिरिक्त महानिरीक्षक,